

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- बरदहअवैध तमन्चा के साथ अभियुक्त गिरफ्तारगिरफ्तारी विवरण:-

आज दिनांक 08/09/23 को मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त डब्लू पुत्र रामबचन यादव निवासी अटारपुर मौजा ईरनी थाना बरदह आजमगढ़ को केदलीपुर पुलिया के पास से एक अवैध तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस के साथ समय 08.55 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 369/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 08/09/23 को मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त डब्लू पुत्र रामबचन यादव निवासी अटारपुर मौजा ईरनी थाना बरदह आजमगढ़ को केदलीपुर पुलिया के पास से एक अवैध तमन्चा व 2 जिन्दा कारतूस के साथ समय 08.55 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

डब्लू पुत्र रामबचन यादव निवासी अटारपुर मौजा ईरनी थाना बरदह आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमन्चा 12 बोर

02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 369/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 भगत सिंह चौकी प्रभारी ठेकमा थाना बरदह, आजमगढ़
2. उ0नि0 पवन कुमार पाण्डेय चौकी ठेकमा थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 सत्येन्द्र गुप्ता चौकी ठेकमा थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 पंकज यादव चौकी ठेकमा थाना बरदह, आजमगढ़

प्रेस नोटगुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर हुए 04 अपराधी

जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत आपराधिक, 307 भादवि, बलत्कार, व अन्य अपराध में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसमें विभिन्न थानों के 04 अपराधी जिलाबदर हुए।

- 1-सेराज पुत्र मोहम्मद कैश निवासी करौती, थाना मेंहनगर, आजमगढ़।
- 2- विशाल यादव पुत्र रामकेश यादव निवासी बेलाखास, थाना बरदह, आजमगढ़।
- 3- दुर्गेश राय पुत्र रविंद्रनाथ राय निवासी मुहम्मदपुर, थाना जीयनपुर, आजमगढ़।
- 4-शत्रुघ्न पुत्र फूलचंद निवासी पूरारामजी थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- जीयनपुरहत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माना

➡ दिनांक- 22.02.1998 को वादी मुकदमा दिनेश कुमार पुत्र रामबलीराम निवासी महरूपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी झिन्नूराम पुत्र पलझूराम निवासी कन्जरा दिलभारपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा कमलेशराम पुत्र लक्षिराम ग्राम बडागाँव पूनापार थाना जीयनपुर आजमगढ़ की गोली मारकर हत्या कर दी गयी।

➡ नामजद अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0- 374/2009 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡ मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡ आज दिनांक- 08.09.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त झिन्नूराम पुत्र पलझूराम निवासी कन्जरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।